Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

Section 25: Power to issue instructions or directions

The Commissioner may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of uniformity in the implementation of this Act, issue such orders, instructions or directions to the Union territory tax officers as he may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the implementation of this Act shall observe and follow such orders, instructions or directions.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 25 : अनुदेश या निदेश की शक्ति

आयुक्त, यदि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और तदुपरि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे।